जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर, प्लॉट नम्बर 60 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.7695 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 950100 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 750 एवं 530 निकट ग्राम मण्ढोली तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 22.05.2026 कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 02.04.2026 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मण्ढोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2026/1234 दिनांक 02.04.2026 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–सीकर/एसआईके– पीएच–049/34–44 दिनांक 08.04.2026 के अनुपालना में मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर, प्लॉट नम्बर 60 की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 2.7695 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 950100 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 750 एवं 530 निकट ग्राम मण्ढोली तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की क्लस्टर मय खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 22.05.2026 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है।** जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र **दी इण्डियन एक्सप्रेस** के संस्करण में

अति० जिला कलक्टर, नीमकाथाना

दिनांक 18.04.2026 एवं **प्रभात अभिनन्दन** के संस्करण में दिनांक 18.04.2026 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।**

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स वितास्ता ईन्वायरो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री जयप्रकाश के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाए की जायेगी।

श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :-

1. श्री मनीराम यादव, माकड़ी ने बताया कि खनन क्षेत्र से आने जाने वाले रास्तो में छिड़काव के लिए पानी कहां से लायेगें एवं जो खनन पट्टा आवंटन किया गया है उसकी सम्पूर्ण भूमि चारागाह की है।

Savita

अति॰ जिला कलक्टर, नीमकाथाना

2. श्री सुरज्ञान सिंह मीणा ग्राम मण्ढोली ने बताया कि हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर से निवेदन है कि पूरा गांव पहाड़ी के चारो ओर बसा हुआ है तथा प्रस्तावित कलस्टर खनन क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 मन्दिर आ रहे है जो कि यहां के ग्रामवासियों की आस्था का केन्द्र है। यहां पर पहले से चल रही खनन पट्टे गांव का 60 साल पुराने बांध को तोड़कर रास्ता बना लिया गया है जिसकी शिकायत हमारे द्वारा बहुत बार कर चुके है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः खनन पट्टा निरस्त किया जाये।
3. श्री भगवान सिंह, निवासी मण्ढोली ने बताया कि ग्राम पंचायत ने प्रशासन को नगण्य कर रखा है। खनन कार्य होने से गांव उजड़ जायेगा।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, निवासी मण्ढोली ने कहां कि आप गांव का निरीक्षण कर लें, गांव पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ उस पर उचित कार्यवाही करवायी जाये।

तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सूनवाई का परियोजन है जिसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में मेरें द्वारा तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा यहां जन सुनवाई कर प्राप्त लिखित एवं मौखिक आपत्तियों के साथ रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेज दी जाती है। हमारें द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नही की जाती है। खनन पट्टा ई–ऑक्शन के माध्यम से आवंटित की गई है।

सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में 03 सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई।

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

Regional Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
Shivsinghpura Housing Board, SIKAR-332001

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, जिला सीकर

(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीम का थाना (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सनुवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर, प्लॉट नम्बर 60, क्षेत्रफल 2.7695 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 950100 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 750 एवं 530 निकट ग्राम मण्ढोली तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 02.04.2026 के द्वारा उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक **22.05.2026 (शक्रवार)** को **दोपहर 01:00 बजे**, स्थान– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मण्ढोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में निर्धारित की गई।

स्थान :– **राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मण्ढोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर ।**

दिनांक :– 22.05.2026 **समय :– दोपहर 01.00 बजे (शुक्रवार)**

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	भागीरथ स्वाक ADM NKT	[signature]
2.	Savita, RO, RSPCB, Sikar	[signature]
3.		
4.	जयप्रकाश ओर	जयप्रकाश ओर
5.	ओमप्रकाश जाट	[signature]
6.	वेदप्रकाश मीणा	Vedprakash
7.	~~सुरेन्द्र कुमावत~~	
8.	महेन्द्र मीणा मण्डोली	[signature]
9.	गिरधारीलाल मण्डोली	[signature]
10.	राकेश मीणा मण्डोली	[signature]
11.	लोकेश मीणा मण्डोली	[signature]
12.	अनिल मीणा मण्डोली	[signature]

	रमेशचन्द मन्डोली	
	कमलेश मन्डोली	
	[illegible]	
	Manoj Meena	
	Ramjilal	
	किशोर मीणा	
	कांतिलाल मीणा	
	धनसी राम	
	प्रकाश चन्द	
	रविन्द्र मीणा	
	विक्रम सिंह	
	[illegible]	
	Ramjilal —	
	[illegible]	[illegible]
	SURGYAN SINGH MEENA	[illegible]
	भगवान सिंह तेवर [illegible]	
	श्रीकर जिलाध्यक्ष प्रभारी	9414450222
	राजु	राजु
	राजेन्द्र प्रसाद मीणा	राजेन्द्र [illegible]

सेवा में

श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय
पर्यावरणीय जन सुनवाई
कैम्प मण्डोली तह० नीम का थाना
सीकर राजस्थान

विषय :- ग्राम मण्डोली तहसील नीम का थाना ,जिला सीकर स्थित प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइनिंग क्लस्टर परियोजना के विरुद्ध पर्यावरणीय एंव विधिक आपत्तियां :-

सन्दर्भ :- प्रस्तावित परियोजना
मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर एंव अन्य सम्बन्धित माइनिंग क्लस्टर परियोजना

स्थान :- राजस्व ग्राम मण्डोली तह० नीम का थाना
भूमि खसरा न० 750 एवं 530

M.L संख्यां :- 59, 60, 61, 62

जन सुनवाई तिथि :- 22 May 2026

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भितानुसार प्रारम्भिक आपत्ति यह है कि प्रस्तावित खनन परियोजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना

14.09.2006 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, सतत विकास सिद्धांत, PRecautionary PrinciPLe तथा PubLic Trust Doctrine के विपरित है। प्रस्तावित खनन से स्थानीय पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, भूजल, वन्य जीव, कृषि, सार्वजनिक मार्ग, ग्राम आबादी एवं धार्मिक स्थलो पर गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा जिस पर निम्न विस्तृत आपत्तियां सादर प्रस्तुत है:—

1. वायु प्रदूषण सम्बन्धी आपत्ति

(क) धूल प्रदूषण :— खनन, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, लोडिंग-अन लोडिंग एवं भारी वाहनो के संचालन से अत्यधिक धूल उत्पन्न होगी इससे:

- ग्रामवाशियो को श्वांस सम्बन्धी रोग, दमा, एलर्जी एवं फेफड़ो की बिमारी होने की पूर्ण सम्भावना है।
- धूल से विद्यालय मे पढ़ाई एवं बच्चो का स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा
- धूल के कणो से आबादी क्षेत्र व कृषि क्षेत्र भूमि प्रभावित होगी
- फसलो की उत्पादकता कम होगी
- सिलिका कणो से सिलिकोसिस जैसी गंम्भीर बिमारी का भयंकर खतरा उत्पन्न होगा
- ग्राम मे न्यूरोडेवलपमेन्टल की बिमारियां पाव फैलायेगी।
- ग्राम मे समय से पुर्व मृत्यू दर मे बढ़ोतरी होगी।

(ख) विधिक आपत्ति :—

- EIA रिर्पोट मे वास्तविक AiR QuaLity Data स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था से प्रमाणित नही है।
- बेस लाइन डेटा सीमित अवधि का है। जो पुरे वर्ष की वास्तविक स्थिति नही दर्शाता एवं प्रदूर्शित नही है।
- Ambient AiR QuaLity Monitoring पर्याप्त स्थानो

पर नही की गयी है। ना ग्रामजनो की उपस्थति व संज्ञान मे की गयी है। जो अपने आप मे संदिग्ध प्रमाणित है।

- CPCB एंव NAAQS मानको का पूर्ण पालन प्रदर्शित नही किया गया है। गोलमाल रिपोर्ट तैयार करा कर भ्रमित किया गया है।

(ग) मांग :-

(1) पूर्ण वर्ष का AiR Quality study कराया जाए
(2) स्वतंत्र ऐजेन्सी से स्वास्थ्य प्रभाव अध्ययन कराया जाए
(3) आबादी एंव विद्यालय से न्यूनतम सुरक्षित दुरी पर स्पष्ट विवेचन अभिलिखित कराया जाय।
(4) धार्मिक मन्दीरो मे आने वाले सेवको के स्वास्थ्य पर सटिक आंकलन एंव विवेचन अभिलिखित कराया जाय
(5) धार्मिक स्थल जो पुरातन से है। उनके क्षार का आंकलन दर समय का स्पष्ट कथन लिया जाय।
(6) बच्चो व गर्भवति महिलाओ पर पड़ने वाले दु:प्रभाव का स्वास्थ्य परीक्षण विवेचन अकंन / कथन रिकार्ड पर लिया जाय
(7) dust suppression plan सार्वजनिक किया जाय

2. जल प्रदूषण एंव भूजल संकट सम्बन्धी आपत्ति

(क) प्रमुख खतरे :- खनन गतिविधियो से भूजल स्तर गिरने तथा जल स्रोत प्रदुषित होने की प्रबल सम्भावना होगी यथा :

- वर्षाजल का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होगा
- भूजल पुनर्भरण कम होगा
- खनन गड्ढो मे रासायनिक एंव तलछट प्रदूषण होगा
- ग्रामिण पेयजल स्रोत प्रभावित होगे
- जल संकट बढ़ेगा।
- मानव (कम उम्र) जीवजन्तु खनन गड्ढो मे गिर कर अकाल मौत के ग्रास होगे।
- स्थानीय कप पर पानी क्षारिय हो जाने से पीने लायक नही रहेगा

P.T.O 4

(ख) विधिक आपत्ति :-

- Hydrogeological study वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त नहीं है।
- Ground water department की स्पष्ट NOC रिकार्ड पर नहीं है। अत: भ्रामिक व गोलमाल होना शून्य की श्रेणी मे आती है।
- जल उपयोग का स्रोत स्पष्ट नही किया गया
- Mine Pit water accumulation एवं drainage Plan अस्पष्ट है।

(ग) माँग :-

(1) CGWA एवं Ground water department से विस्तृत अनुमति लीजाकर रिकार्ड पर सग्लन करवायी जाय।

(2) जल उपलब्धता का वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक किया जाए

(3) वर्षा जल संरक्षण व Recharge योजना अनिवार्य व सार्वजनिक की जाय

3. ध्वनि प्रदूषण एवं कंपन सम्बन्धी आपत्ति :-

(क) प्रमुख खतरे : ब्लास्टिंग एवं भारी मशीनरी से ध्वनी एवं कंपन उत्पन्न होंगे जिससे

- मकानो मे दरार आ सकती है। मकान गिरने की प्रबल सम्भावना होगी
- धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक संरचनाएँ प्रभावित होगी जिससे ग्राम के अधिकांश मन्दीर नष्ट हो जायेंगे।
- पशुधन एवं वन जीव प्रभावित होंगे।
- बच्चो, गर्भवति महिलाओ एवं वृद्धो के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। एवं मानसिक सन्तुलन बिगड़ेगा।

(ख) विधिक आपत्ति :

- Noise Level monitoring वास्तविक परिस्थितियों मे नही किया गया। जो रिकार्ड पर है वह भी संदिग्ध है।
- Blasting Impact Assessment रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गयी
- DGMS सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन स्पष्ट नही है।
- ग्राम की मुख्य आबादी मे ब्लास्टिंग की अनुमति स्वत: ही संदिग्ध है

P.T.O 5

(ग) मांग :-

(1) Controlled blasting की बाध्यता तय की जाकर सार्वजनिक की जाए

(2) आबादी जो ग्राम की मुख्य आबादी है। ब्लास्टिंग की दुरी पर स्पष्ट विवेचन अभिलिखित करवाते हुये पुन NOC प्राप्त की जाय

(3) आबादी के निकट ब्लास्टिंग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय

(4) ग्रामजनो के समक्ष स्वतंत्र vibration study करायी जाय

(5) ग्राम की मुख्य आबादी के निकटतम बारूद रखने/स्टॉक पर विभाग से स्पष्ट विवेचन अभिलिखित कराया जाय।

4 - कृषि भूमि एवं पशु पालन पर प्रभाव पर आपत्ति

(क) प्रभाव व खतरा : खनन से कृषि भूमि की उर्वरता एवं पशु पालन प्रभावित होगा

- धूल से फसले नष्ट होगी
- चारागाह भूमि प्रभावित होगी
- पशुओ के लिए जल व चारे का संकट उत्पन्न होगा
- ग्रामिण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी
- दुग्ध, दही, छाछ नही मिलने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा

(ख) विधिक आपत्ति

- Carrying Capacity study नही की गयी
- कृषि उत्पादन हानि का मुल्यांकन रिकार्ड पर नही है।
- कृषि विभाग से NOC जारी रिकार्ड पर नही है।
- सामाजिक प्रभाव का आंकलन (Social Impact Assessment) नही किया गया है।

(ग) मांग :-

- कृषि एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की जाय
- प्रभावित किसानो से सहमति ली जाय
- मुआवजा प्रति फसल के हिसाब से तय किया जाय। P.T.O 6

. आबादी क्षेत्र एवं सार्वजनिक संस्थानो तथा धार्मिक मन्दीरो की निकटता सम्बन्धी आपत्ति

(क) खतरा / प्रभाव

- ग्राम की मुख्य आबादी के एकदम नजदीक होने से हमेशा जन हानि का खतरा बना रहेगा
- विद्यालय निकटतम होने के कारण बच्चो के जीवन पर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा व शिक्षा प्रभावित होगी
- अस्पताल निकटतम होने के कारण मरीजो के स्वास्थ्य व जीवन पर गम्भीर खतरा बनेगा
- मंदीर प्रभावित होगे नष्ट होगे एवं मंदिर मे नित पूजा पाठ करने के लिए आमजन डर के मारे नही जायेगा इससे धार्मिक जीवन से आमजन विमुख हो कर अधर्म की ओर उग्र होगा।
- यातायात के भारी दबाव से सार्वजनिक मार्ग व सार्वजनिक संस्थान प्रभावित होगे मार्ग चलने लायक नही रहेगा
- आमजन जीव के लिए गम्भीर प्रकृति का सार्वजनिक खतरा उत्पन होने से सामाजिक डरश जरमारा जायेगा

(ख) विधिक आपत्ति

- sustainable Development एवं Precautionary Prin-ciple के अनुसार मानव जीवन को प्राथमिकता दी जाने चाहिए लेकिन यहां तो मानवजीवन को ही भयंकर खतरे मे डाल दिया
- supreme Court द्वारा M.C mehta बनाम Union of India सहित अनेक मामलो मे पर्यावरणीय सुरक्षा को अनुच्छेद -21 का हिस्सा माना है। जबकि इस खनन परियोजना मे संविधान को ही ठेगा दिखा दिया है।
- दूरी के बारे मे प्राधिकृत सक्षम अधिकारियो से स्पष्ट रूप से अभिकथन / विवेचन रिकार्ड पर सलग्न किया जाय

(ग) मांग :—

- आबादी क्षेत्र से वास्तविक दुरी का संयुक्त सर्वे कराया जाय
- मन्दीर, विद्यालय, अस्तपाल एवं सार्वजनिक स्थलो की दुरी व सुरक्षा बाबत संयुक्त सर्वे कराया जाय तथा नियम कायदो व फर्द मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा सहित सार्वजनिक किया जाय।
- धार्मिक स्थल को स्पष्ट रूप से नष्ट कराने बाबत किस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट व अनुज्ञा जारी की है। उस रिपोर्ट को मय नाम व पदनाम सहित सार्वजनिक किया जाय।
- ग्राम की मुख्य आबादी के पास ब्लास्टिंग की अनुमति देने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम सहित रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय कि थोड़े से पैसे के लिए पुरे गांव को ही दाव पर लगा दिया
- पुन ग्रामीणजनो की उपस्थिति मे रिपोर्ट तैयार करायी जाय।

6- जैव विविधता एवं वन्यजीव सम्बन्धी आपत्ति

(क) खतरा / प्रभाव

- खनन गतिविधियो से स्थानीय जैव विविधता समाप्त होने का पूर्ण रूपेन खतरा है।
- पक्षियो एवं वन्यजीवो का प्राकृतिक आवास नष्ट होगा
- वृक्षो व वनस्पति को नुकसान होगा
- पारिस्थितिकी संन्तुलन बिगड़ेगा
- ग्रामो की मूल प्रकृति शांति पूर्णतया नष्ट हो जायेगी

(ख) विशिष्ट आपत्ति

- वन विभाग की विस्तृत रिपोर्ट ली जाकर सार्वजनिक की जाय
- Biodiversity Impact Assessment अधूरा है।
- पर्यावरण ग्लोबल के मानको पर अध्ययन/रिपोर्ट पुन करायी जाय

P.T.O 8

(ग) मांग

- विस्तृत biodiversity survey कराया जाय
- वृक्ष करान एवं हरित पट्टी की योजना सार्वजनिक की जाय।
- सदर्भ वैज्ञानिक से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाय

7 - यातायात एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी आपत्ति

(क) खतरा

- खनन क्षेत्र मे भारी वाहनो की आवाजाही से सड़क दुर्घटनाओ की संभावना बढ़ेगी।
- ग्रामीण मार्ग क्षतिग्रस्त होंगे
- धूल व ध्वनि प्रदूषण होगा
- विद्यार्थी एवं ग्रामीणो की आवागमन के दौरान सुरक्षा प्रभावित होगी एवं दुर्घटना आम होने से मृत्यु दर बढ़ेगी

(ख) विधिक आपत्ति

- Traffic Impact Assessment नही किया गया
- PWD एवं स्थानीय निकाय की अनुमति नही है स्पष्ट अनुमति ली जाय।
- परियोजनात्क उपलब्ध रास्ता व किसान भूमि पर स्पष्ट रिपोर्ट ली जाय एवं उक्त मे अनुज्ञा जारी हो सकती है। स्पष्ट रूप से विस्तृत विवेचन अभिलिखित कराया जाय।

(ग) मांग

- Heavy vehicle movement Plan सार्वजनिक किया जाय
- सड़क सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति की योजना सार्वजनिक की जाय
- पुलिस, यातायात विभाग, राजस्व विभाग की संयुक्त रूप से जांच रिपोर्ट ली जाय। एवं जांच दौरानियान ग्रामीणजनो से पक्ष सुना जाय

P.T.O

EIA रिपॉर्ट मे त्रुटियां एवं तथ्य छुपाने सम्बन्धी आपत्ति

- EIA रिपॉर्ट कॉपी-पेस्ट प्रतीत हो रही है।
- स्थानीय परिस्थितियों का सही विवरण नही दिया है।
- प्रभावित आबादी की वास्तविक संख्या छुपाई है।
- जन सुनवाई से पूर्व सभी दस्तावेज ग्राम स्तर पर व पर्यावरण संरक्षण मित्र को उपलब्ध नही करायी गयी।
- हिन्दी भाषा मे जानकारी पूर्ण रूपेन उपलब्ध नही करायी जबकि ग्रामिण परिवेश अंग्रेजी की समझ से दुर है।
- रिपॉटो मे ग्रामिण जनो की कोई भागीदारी साझेदारी नही की गयी बाला-बाला कार्यालय मे बैठ कर रिपॉर्ट तैयार की गयी है।

विधिक आधार

EIA Notification 2006 के अनुसार

- जन सुनवाई निष्पक्ष एवं पारदर्शी होनी चाहिए
- प्रभावित व्यक्तियो को हिंदी मे पूर्ण जानकारी से अवगत कराया जाय एवं दस्तावेज उपलब्ध कराये जाय
- जन सुनवाई का प्रचार प्रसार नही किया गया

माग :—

- सम्पूर्ण EIA/EMP रिपॉर्ट ग्राम पंचायत मे उपलब्ध हिंदी मे करायी जाय
- नई व निष्पक्ष पर्यावरणीय रिपॉर्ट / गहन अध्ययन / विवेचन सहित पुन किया जाय।

9- क्लस्टर प्रभाव सम्बन्धी आपत्ति

- क्षेत्र मे पहले से दो खनन कार्य पहले से गांव से कुछ ही दुरी पर पहले से चल रहे है। और अब चार खनन पट्टे और जारी कर दिये इससे सामुहिक प्रभाव अत्यधिक होगा
- आम जन का घरो मे रहना व बहार निकलना अत्यंत ही

कठिन हो जायेगा न तो जिया जायेगा न ही मरा जायेगा तिल-तिल रोज मरने को आमजन मजबूर हो जायेगा

विधिक आपत्ति

- Cumulative Environmental Impact Assessment नही किया गया
- क्षेत्र की Carrying capacity भौतिक रूप से तैयार नही की गयी है। मात्र प्रथम दृष्टया कापी-पेस्ट परिलक्षित है।
- संयुक्त प्रदूषण भार का अध्ययन रिपोर्ट रिकार्ड पर नही है।

मांग

(1) समस्त खनन पट्टों का संयुक्त अध्ययन कराया जाय

(2) Cluster आधारित Cumulative Impact Report सार्वजनिक की जाय

(3) ग्रामीणजन व पर्यावरण संरक्षण मित्र की सहभागिता मे संयुक्त निरीक्षण अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करवायी जाय

10- जन सुनवाई प्रक्रिया सम्बन्धी विधिक आपत्ति

- प्रभावित ग्रामीणो को पर्याप्त सूचना नही दी गयी
- सार्वजनिक नोटिस की व्यापकता व व्यापक प्रचार-प्रसार प्रक्रिया संदिग्ध है।
- स्थानीय भाषा मे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नही करायी गयी
- ग्राम पंचायत स्तर पर दस्तावेजी उपलब्धता मात्र कोना पूर्ति

मांग

(1) जन सुनवाई पुन: आयोजित की जाए

(2) सभी दस्तावेज हिन्दी मे उपलब्ध कराये जाए

(3) वीडियो रिकार्डिंग एवं स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाय

11. संवैधानिक एवं न्यायिक आधार

- अनुच्छेद - 21

  स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

  जो :

  खनन परियोजना से स्पष्ट उल्लघंन होगा

- अनुच्छेद 48 A

  राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे

  जबकि

  प्राधिकृत अधिकारी गणों द्वारा भ्रामक व गोलमाल रिपोर्ट तैयार कर पर्यावरण सन्तुलन बिगाड़ने का कृत्य मे प्रयासरत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे है।

- अनुच्छेद 51 A

  प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे

- वायु प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लघंन

  धारा - 21, 22 एवं 31 A

- पर्यावरण संरक्षण कानून का उल्लघंन

  धारा - 3, 5, 7, 8 एवं 15

- प्रदूषण मानकों का उल्लघन

- सार्वजनिक उपद्रव (Publice Nuisance)

  धारा - 152 BNSS

- Precautionary Principle

  सम्भावित खतरे को पहले रोकने का सिद्धान्त

- Sustainable Development Principle

  विकास और पर्यावरण मे सन्तुलन आवश्यक है।

- Public Trust Doctrine

प्राकृतिक संसाधन जनता की सम्पत्ति है।

• पर्यावरणीय न्याय का सिद्धान्त
पर्यावरण संरक्षण न्याय का महत्व पूर्ण सिद्धान्त है।
प्रमुख न्यायिक निर्णय

1. M.C Mehta V/s Union of India
2. Vellore Citizens Welfare Forum V/s Union of India
3. Rural Litigtion and Entitlement Kendra V/s U.P
4. Deepak Kumar V/s State of Haryana
5. Hanuman Laxman Aroskar V/s Union of India

इन निर्णयो मे पुस्थापित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। इन के मध्य नजर स्पष्ट विवेचन अभिलिखित किया जाय

12- पट्टा निलामी / जारी प्रक्रिया पर आपत्ति

(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 16

उक्त प्रश्नगत स्थल भूमि सम्पूर्ण पट्टा / लिज माइनिंग क्षेत्र चारागाह राजस्व भू अभिलेख मे दर्ज रिकार्ड है।

• जो धारा-16 के अन्तर्गत निर्बन्धित प्रवर्ग की भूमि मे शामिल / आती है। जिसमे खनन की अनुमति जारी करने का प्रावधान नही तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.1.2011 उनवान जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे उक्त भूमि के आवंटन अवैध माना व अवैध घोषित किये है।

अत: स्पष्ट रूप से आवंटन प्रक्रिया ही अवैध है। तथा अवैध रूप से / प्रक्रिया से प्राप्त आदेश / अधिकार पर ज्ञात होने या संज्ञान मे लाने पर आगे की प्रक्रिया जारी नही रखी जाने का प्रावधान है। अत: किसी भी सुरत मे NOC जारी नही की जाय

• विभिन्न निर्णयो मे चारागाह को सुरक्षित व संरक्षित किया है।

13- ग्राम पंचायत

(1) ग्राम पंचायत मछोली द्वारा NOC जारी नही की है।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा कोई रिपोर्ट पेश करना पत्रावली रिकार्ड पर नही है।

ग्राम पंचायत मछोली व समस्थ नागरिक आपत्ति प्रस्तुत कर रहे है एवं खनन परियोजना का विरोध व इससे खारिज करवाने का अनुरोध कर रहे है।

14 कदीमी करीब 350 वर्षों पूर्व से ग्राम मछोली स्थापित है तथा धार्मिक आस्था के चलते अनेको आदि काल से मन्दीर बने हुये है जो परियोजना क्षेत्र व निकटतम है।

15- ग्राम की मुख्य आबादी पहाड़ी के पश्चिम साइड मे खनन पट्टा तक की उंचाई पर बसी हुयी है। खनन पूर्व की साइड मे करने पर गांव अधर झूल मे कैसे रहेगा स्वत: ही तहानश / नष्ट हो जायेगा

16- धार्मिक आस्था के केन्द्र / मन्दीर तो करीब करीब नष्ट हो जायेगे जिससे ग्रामिण पूजा पाठ से वंचित हो जायेगे।

17- सम्बन्धित विभागो द्वारा पेश रिपोर्ट भौतिक रूप से मौके पर अवलोकन कर तैयार नही की गयी है। कार्यालय मे बैठ कर तैयार की गयी है। जिनका हम पुरजोर विरोध व खंडन करते है।

18- व्यवहारिक रूप से भी देखिए यह ग्राम का विकास नही विनाश है। ग्रांव को मत उजाड़िये ये कमजोर तबके के लोग कहां जायेगे इन का जीना किस कदर सम्भव है।

19- ग्रामजनो की आजिविका मुख्तय: भेड़ बकरी पालन व गाय, भैस पालन से है। जो इस परियोजना से प्रभावित होगा एवं आमजन आर्थिक रूप से कमजोर होता चला जायेगा।

P.T.O 14

अन्तिम प्रार्थना :—

1- प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जाय

2- नई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पर्यावरणीय जांच करायी जाय

3- विस्तृत Cumulative Impact assessment कराया जाय

4- ग्राम वासियो की आपत्तियो का स्पष्ट रूप से न्यायिक व सामाजिक रूप से विवेचन कर लिखित निर्णय दिया जाय एवं तदउपरान्त उचित सुनवाई व्यक्तिगत रूप से अवसर प्रदान किया जाय

5- जब तक सभी पर्यावरणीय एवं विधिक शर्तों का पूर्ण पालन सिद्ध न हो तब तक किसी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति नही दी जाय।

6- ग्रामजनो के हित मे अन्य समस्त कार्यवाही यथा आबादी की निकटता, अनोखो मन्दीर, चारागाह भूमि, नदी नाले प्रभावित होने प्राचिन हवेली संरक्षण व बचाव, आस्था से विमुख नही करने आदि व उपरोक्त आपत्तियो पर बिन्दुवार गहन परीक्षण का स्पष्ट रूप से विवेचन अभिलिखित किया जाय

न्याय की आशा मे

दिनांक 22 मई 2026

स्थान मण्डोली

आपत्ति कर्तागण

समस्त ग्राम वासी ग्राम मण्डोली

जरिये मनीराम यादव

मनीराम यादव (सामाजिक कार्यकर्ता व पर्यावरण संरक्षण मित्र)

Mob. No 9950522698

भगवान सिंह तंवर

सीकर जिला अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी

m-9414490213

विमला

प्रशासक

ग्राम पचायत पढ़ोली

नीमकाथाना (सीकर)

1.

आरओके. कमली देवी

वार्ड पंच 06

रोहिताश देवा(?)

वार्ड पंच वार्ड नं 02

गिरधारी लाल

वार्ड पन्च 5

2. [illegible]

वार्ड पंच 07

3. कुमो दामराम

वार्ड पंच 04

4. ओमकिरण (उपसरपंच)

वार्ड नं 5

खनन परियोजना पर आपत्ति के हस्ताक्षर

1. मुराम्य सरपंच प्रतिनिधि Mob- 9521198057
(2) राजेन्द्र प्रसाद ग्रामीण 9001965919
3. कैलाश मीणा ग्रामीण 7726831088
3. सुरेश यादव " 7689040502
4. Sapna yadav " 9429049713
5. हनुमान " 9589098081
6. सिकन्दर रेगर " 9057652608
7. भीमाराम यादव " 9660210872
8 मनोज मीणा 9602439081
9 [illegible] 8385065454
10 मनजी राम 7732800204
11 श्रीराम कुमावत 9660912757
12, आकाश कुमार वर्मा Mob.no.-8233181503
13 पिंकी कुमावत 8000467505
14 उर्मिला 800467505
(15) [illegible] वर्मा Mob.no.-8233181503
(16) किरण देवी 9785838062
(17) [illegible] वर्मा 8306838801
(18) राजेश कुमार 8502971158
(19) अनिल कुमार 6367993372
(20) मोहन लाल 9887821939
(21) [illegible] 7733006909
(22) सुरेन्द्र कुमावत 9521572285
(23) प्रेमचन्द वर्मा 9928876282
(24) राजेन्द्र 7742101224
(25) अरुण पुरोहित 9352559932

17

खनन परियोजना पर आपत्ति पर हस्ताक्षर

26. मोहित सिंह तंवर
27 वेदप्रकाश मीणा — 7023497800
28 दिनेश जांगिड़ — 9079487196
29 मांगीलाल — 7733804904
30 राजेन्द्र कुमार — 8278664227
31 पुरुषोत्तम 7976328044
32 [illegible]
32 पंकज शर्मा — 9649889388
33 अनुज वर्मा — 9950659973
34 सतीश — 9784650581
35. सुरेन्द्र सिंह — 9024334715
9414445331
रमेश लाल कुमावत 9588296556

16.

खनन परियोजना पर आपत्ति पर हस्ताक्षर

1. चुन्नीलाल गुर्जर PH- 9001019995
2. [signature] PH- 9649084182
3. जगदीश पूर्व सरपंच मण्डौली PH 9660127761

Date 27/5/26 ②

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर महोदय
नीमकाथाना सीकर (राज.)

विषय:- ग्राम मंढौली में लीज आवंटन के विरोध में

मान्यवर महोदय,

नम्र निवेदन है कि गांव मंढौली की पहाडी में कई दिनों से अवैध खनन सुचारू रूप से चलाया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नई लीज जारी की जा रही है इस लीज के लिए हल्का पटवारी मंढौली ने राजनैतिक दबाव में आकर या प्रलोभनवश जो रिपोर्ट भेजी है वह रिपोर्ट पूर्णतया निराधार एवं गलत है हल्का पटवारी की रिपोर्ट में पहाडी की तलहटी में बने पक्के मकान, जो आज से 50-60 वर्ष पहले बनाये गये थे जिनके आवासिय प्रयोग में आ रही है रिपोर्ट में वह जगह खाली दर्शायी गई है पहाडी के चारो दिशाओं के मन्दिर नही दर्शाये है पहाडी के उत्तर, दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में आवासीय पक्के मकान बने हुए है जो कि 100 साल पुराने है

अत: श्रीमानजी से करबद्ध प्रार्थना है कि हल्का पटवारी मंढौली की रिपोर्ट निराधार एवं गलत है जिसका पूरे गाव वाले विरोध करते है एवं आपसे प्रार्थना करते है कि किसी उच्च अधिकारी को पुन: जांच करने के आदेश प्रदान करें इस अवैध खनन से आये दिन ब्लास्ट के कारण पक्के मकानों में दरार तक आ गई है जिसके फोटू प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है रात में ओवरलोड डम्पर गांव के आम रास्ते से होकर गुजरते है जिससे पूरी सडक क्षतिग्रस्त हो गई है अरावली श्रृंखला के माप दण्डो के आधार से इस पहाडी की ऊंचाई लगभग 200 मीटर है आप चाहे तो इसका सत्यापन करवा सकते है समय रहते अगर पहाडी का अवैध खनन नही रोका तो ग्राम वासी आक्रोशित होकर बडा आन्दोलन एवं रास्ता रोको अभियान की योजना बना रहे है अत: श्रीमानजी से पुन: आग्रह है कि खनन प्रक्रिया को तुरन्त रुकवाने एवं लीज आवंटन को तुरन्त प्रभाव से रोका जावे इस कार्य के लिए सभी गाव वासी हमेशा आपके आभारी रहेंगे। -

कॉपी सलग्न:-
1. कलेक्टर महोदय सीकर
2. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
3. खनन अभियन्ता / नीमकाथाना
4. मुख्य खनन अभियन्ता जोधपुर

प्रार्थीगण
ग्राम पंचायत मंढौली के
समस्त ग्रामवासी

पहाड़ी की वर्तमान स्थिति एवं देव स्थान स्थिति इस प्रकार है

पूर्व

1. सपना बावड़ी, सिद्धियानाथ आश्रम
2. चिल्लाय माता मन्दिर
3. पुरातन राज परिसर पहाड़ी पर

उत्तर

1. यशोदा माता मन्दिर
2. प्राचीन तालाब एवं बावड़ी
3. शिव शंकर मन्दिर
4. सेड माता मन्दिर
5. हनुमान जी मन्दिर
6. जलदाय विभाग की टंकी पानी की

दक्षिण

1. सईद बाबा की मजार
2. दुर्गा मन्दिर
3. भैरू बाबा मन्दिर
4. भौमिया जी महाराज मन्दिर
5. भौंरा माता मन्दिर
6. पानी की टंकी जलदाय विभाग

पश्चिम

1. हनुमान जी मन्दिर
2. शंकर जी मन्दिर
3. गोपाल जी मन्दिर
4. सीताराम जी मन्दिर
5. रघुनाथ जी मन्दिर
6. पहाड़ी में पानी की टंकी

श्रीमान जी आप स्वयं सत्यापन करवाकर पटवारी हल्का मण्डोली की रिपोर्ट स्वीकार करने के आदेश करते हुए खनन प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से रोकने में ग्राम वासियों की प्रार्थना पर विचार करके अतिशीघ्र समस्या का समाधान करने की कृपा करें। -

हनुमान

मांगीलाल

[signature]

बनवारी लाल

ओम शर्मा

दयाशंकर

महेश कुमार

SitaRam

[signature]

भीमाराम यादव

Ayush Yadav.

Aryan

Sachin Yadav

राजेश यादव

Rahul

[signature]

घनश्याम

[signature]

[signature]

[signature]

सिकन्दर खाँ

अविनाश वर्मा

[signature]

अंकित कुमावत

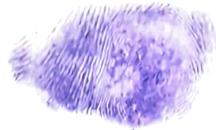

[illegible] गजानन्द गुप्ता

मुमताज खाँ

Anil Kumar

Rohit Verma

अशोक कुमार

पुखराज

राजेन्द्र जांगिड़

मातादीन जांगिड़

सुरेन्द्र कुमावत

कमल कुमार

[signature]

Ramesh Kumar

गौतम वर्मा

[signature]

[signature]

Nitin

पूरणमल

Amit Singh

Rahul Kumar

धर्मपाल वर्मा

[signature]

गोपाल

[signature]

[signature]

प्रमिला कुमावत

अनिता देवी

शकीला देवी

उर्मिला देवी

अनिता यादव

[signature]

तुलसी देवी

कलावती देवी

ममता देवी

मातादीन

शिवानी

कृष्णा देवी

मुकेश कुमार शर्मा

मुरारी लाल

विनोद कुमार

[signature]

जिला अध्यक्ष
भ्रष्टाचार निरोधक
सीकर राज.
9414490213

प्रेमचन्द वर्मा

[signature]
9414945333

(3)

प्रभारी अधिकारी महोदय,
जन सुनवाई पर्यावरण विभाग
कैम्प मन्ढोली तह- नीमकाथाना
जि० सीकर (राज०)

विषय:- खनन के पट्टे को निरस्त करने एवं अन्य और खनन पट्टा नहीं दिया जावे।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम मन्ढोली तह- नीमकाथाना सीकर की पहाड़ी के ऊपर 10-15 गज की दूरी पर मन्दिर है बावड़ी के पास सतीमन्दिर तालाब के पास शिव मन्दिर एवं पास में हनुमान मन्दिर, भैरूजी का मन्दिर, दुर्गा माता का मन्दिर, भूणा माता का मन्दिर सैयद का स्थान एवं किले पर चिलाई माता मन्दिर सपना बावड़ी पर शिव मन्दिर एवं हनुमान मन्दिर एवं गांव के अन्दर गोपालजी का मन्दिर शिवजी, हनुमानजी सीतारामजी एवं अन्य मन्दिर हैं।

(1) महोदय 28/1/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगपाल सिंह V/S पंजाब सरकार में अपने निर्णय में आबादी निकट का हवाला पोल्यूशन हेतु दिया है।

(2) महोदय 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली में खनन हेतु चालू खानों पर भी रोक लगादी है मन्ढोली ग्राम ~~आता~~ अरावली पहाड़ी क्षेत्र में आता है। 2025 में NGT ने पोल्यूशन हेतु कोटपूतली सीमेन्ट फैक्ट्री के खिलाफ अपने निर्णय में आबादी व मन्दिर से 500 मीटर की सीमा तय की है। मन्ढोली पहाड़ी पे 10-15 गज पर मन्दिर है पूजा मौलिक अधिकार है अतः खनन को निरस्त करवायें।

15/05/2026

प्रार्थी
ग्राम जनता मन्ढोली
तह- नीमकाथाना
सीकर राज०

प्रति लिपि:-
(1) श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय
(2) अधिशाषी अभियन्ता खनन विभाग नीमकाथाना

9414490212

भगवान सिंह ऐचरा
सीकर जिला अध्यक्ष
भ्रष्टाचार निराकरण
गणेशराम पूर्व

सरपंच (सरपंच प्रतिनिधि)
प्रेमचन्द

गोरधनलाल 8278664227

बनवारी लाल

बादल वर्मा Mob.no-7890947503

राजेश कुमार

मोहित सिंह

सुरेन्द्र कुमावत

दिनेश कुमार

वेदप्रकाश मीणा

मनोज कुमावत

हरफूल

Mohan

सुरेन्द्र सिल्वा
9414445331

मंगलीराम

रोहिताश्व (वार्ड पंच

TED

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001
(CIN:L36911RJ1996PLC011381)

2002" had issued 60 days demand notice to the borrowers/co-borrowers/
n auction of the mortgage properties/secured assets as given below. Therefore
of the said Act, the Authorized officer is free to take possession for sale of the

vithout prior written consent of the secured creditor.
e payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the

Amount of Demand Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged Property
17-Feb-26 . 680938/- Eighty Thousand Nine Thirty-Eight Only on 16-Feb-26	Property Situated At- Patta No 059, Gram Panchayat Borav, Rawatbhata, Dist- Chittorgarh, Rajasthan, 323304 **Admeasuring 360 Square Feet**
21-Feb-26 . 1301434/- Lakh One Thousand red Thirty-Four Only on 21-Feb-26	(1) Property Situated At - Patta No. 20849,Araji No .442,Vill-Ladana, Gp.- Vasani Kala, Teh-Mavli, Dist- Udaipur (Raj. **Admeasuring 1600 Sq.Ft.** (2) Property Situated At- Patta No.53821,Araji No .442,Vill-Ladana, Gp.- Vasani Kala, Teh- Mavli, Dist- Udaipur (Raj.) **Admeasuring 1984 Sq.Ft.** (3) Property Situated At- Patta No.53822,Araji No .442,Vill-Ladana, Gp.- Vasani Kala, Teh- Mavli, Dist- Udaipur (Raj.) **Admeasuring 1600 Sq.Ft.**
26-Feb-26 7/- Rs. Sixty-Five Lakh ousand One Hundred y-Seven Only & s. 2868540/- -Eight Lakh Sixty-Eight d Five Hundred Forty As on 25-Feb-26	Property Situated At , Khasra No 560/547, Vill - Chhoti Sarwa, Th - Kushalgarh , Dist - Banswara , Rajasthan, 327801 **Admeasuring 0.0147 Hectare**
9-Feb-26 Rs. 746574/- akh forty-six Thousand lred seventy-four Only As on 7-Feb-26	Property Situated At - Patta No 69 Book No 194 Bhagsar Bhagsar Ganganagar Sriganganagar Sriganganagar Rajasthan 335001 **Admeasuring 293.33 Sqyds**
9-Feb-26 Rs. 1073811/- Lakh seventy-three d eight hundred eleven ly As on 7-Feb-26	Property Situated At - Kh No 508, Mohalla Buchehera, Kotputli, Dist - Alwar, Rajasthan, 303108 **Admeasuring 13.89 Sq Yd**
9-Feb-26 Rs. 392832/- ree Lakh ninety-two d eight hundred thirty- Only As on 7-Feb-26	Property Situated At - Patta No 40540, Ward No-17, Gurjaro Ka Tekda, Ps & Tehsil- Khandela, District - Sikar, Rajasthan **Admeasuring 296.11 Sq Yds**
9-Feb-26 Rs. 494568/- ur Lakh ninety-four nd five hundred sixty- Only As on 7-Feb-26	Property Situated At Patta No.60 Ramtalai Mohlla Ward No.10 Kotri Luharwas Sikar Khandela Sikar Rajasthan 332709 **Admeasuring 233.33 Sqyds**
9-Feb-26 21080/- Rs. four Lakh ne Thousand eighty Only As on 7-Feb-26	Property Situated At- Kh No.667, Gram.- Alwar No. 02, Mehndi Bag, Jaipur Road, Te.- Alwar, Distt- Alwar, Rajasthan, 301001 **Admeasuring 31.57 Sq.Yrd**
12-Feb-26 Rs. 1837226/- teen Lakh Thirty-Seven d Two Hundred Twenty- nly As on 10-Feb-26	Property Sitauted At Araji .No. 792, Sankap.No. 02, Gram- Nundri, Mendratan, Gram Panchayat - Nundri Mendratan Panchayat Samiti - Jawaja, Dist- Ajwar, Rajasthan **Admeasuring 277.78 Sqyds**
12-Feb-26 Rs. 491795/- our Lakh Ninety-One d Seven Hundred Ninety- Only As on 10-Feb-26	Property Situated At- Misal No- 16, Vill & Gram Panchayat- Beedsar, Th- Lachhmangarh, Dist- Sikar, Rajasthan **Admeasuring 571 Sq Yds**
12-Feb-26 9379/- Rs. Three Lakh Nine Thousand Three Seventy-Nine Only As on 10-Feb-26	Property Situated At- Patta No. 05, Village- Radawas, Distt- Jaipur, Rajasthan **Admeasuring 148.11 Sqyds**
13-Feb-26 Rs. 893176/- ght Lakh Ninety-Three nd One Hundred Seventy- Only As on 10-Feb-26	Property Situated At - Gudha Kishordas, Dist- Alwar, Rajasthan, 301022 **Admeasuring 210.83 Square Yard**
13-Feb-26 Rs. 135826/- One Lakh Thirty-Five nd Eight Hundred Twenty- Only As on 10-Feb-26	Property Situated At - Situated At Gram Mundsar, Dist- Bikaner, Rajasthan, 334202 **Admeasuring 2660 Square Feet**
13-Feb-26 Rs. 363170/- Three Lakh Sixty-Three nd One Hundred Seventy Only & Rs. 275824/- Two Lakh Seventy-Five	Property Situated At- Patta No 06, Near Thakurji Temple, Gram Bichwal, Dist- Bikaner, Rajasthan, 334006 **Admeasuring 1104 Sqft**

PUBLIC NOTICE

PLUTUS INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED

(formerly Paisabuddy Finance Private Limited)
(CIN: U65991RJ1996PTC059738)
Address: Second Floor, S-5, Adinath Nagar, JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur - 302017, Rajasthan, India

Notice is hereby given that the name of Paisabuddy Finance Private Limited, a Non-Banking Financial Company (NBFC) having Registration No. B.10.00272 and its registered office situated at Second Floor, S-5, Adinath Nagar, JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur- 302017, Rajasthan, India bearing Corporate Identification Number (CIN) U65991RJ1996PTC059738 has been changed from Paisabuddy Finance Private Limited to Plutus Investments India Private Limited w.e.f 17th April 2026, pursuant to the approval granted by the Reserve Bank of India (RBI) vide Letter no. S850/01-13-054/2025-2026, dated 30th March, 2026 and approval of the Ministry of Corporate Affairs (MCA) through a Fresh Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies (ROC), Jaipur dated 17th April 2026.

for Plutus Investments India Private Limited
(formerly Paisabuddy Finance Private Limited)
SD/-
Nikhil Godika
Director
DIN: 09079354

Date: 17.04.2026
Place: Jaipur

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone : 01572-248009, e-Mail : rorpcb.sikar@gmail.com

No.: RPCB/RO Sikar/SIK-PH-049/ Date : 08.04.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय :- मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर, प्लॉट नम्बर 60, खसरा नम्बर 750 एवं 530, निकट ग्राम मण्ढोली तहसील - नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक **मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर** द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जो कि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 05.3794 हेक्टयेर, प्लॉट नम्बर 60, खसरा नम्बर 750 एवं 530, निकट **ग्राम मण्ढोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा वाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) का प्रस्तुत किया गया है। 2. और चूंकि **मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

(i) जिला कलेक्टर, सीकर।
(ii) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
(iii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(iv) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना सस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
(v) महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
(vi) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
(vii) ग्राम पंचायत, मण्ढोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
(viii) राज़ीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मण्ढोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
(ix) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
(x) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 02.04.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 22.05.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मण्डोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Registered Office: Radhika,2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahemdabad, Gujrat, Pin Code: 380009 **BRANCH OFFICE:** E-145, Second Floor, Ramesh Marg, Opp sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan - 302001

AUCTION SALE NOTICE OF MOVABLE ASSETS/ARTICLES

The notice is hereby given to the public in general that **HDB FINANCIAL SERVICES LTD. (HDBFS)**, a Company incorporated under the Companies Act 1956, having its Registered office at - RADHIKA, 2ND FLOOR, LAW GARDEN ROAD NAVRANGPURA, AHMEDABAD - 380009, Regional Office at - 1st Floor, Wilson House Old Nagardas Marg Andheri (E) Mumbai, **Branch office at - 621, Mukesh Plaza, Dadabari Kota Rajasthan- 324009** The public at large hereby informed that HDB Financial Services Ltd. has sold the mortgaged property bearing **Aakriti Landcon Pvt. Ltd. at Shop No. 5,6,7,8 & 9, Shree Nath Estate, Maharao Bhim Singh Nagar, Station Road, Kota Jn.(Raj.) by E-Auction** due to default of our borrowers **M/s Aakriti Landcon Pvt. Ltd., KARUNA CHATURVEDI, LALIT KISHORE CHATURVEDI, NARESH SHARMA, PURUSHOTTAM DAYAL DUBEY (Loan Account No. -1632661)**

This is an Auction Sale Notice for Sale of below mention Movable Property/ Articles which is lying with the secured asset. **details of the Movable Property/Articles - Chair Revolving - 2, Sofa Set- 1, Table- 1, A.C. Samsung (Only Inner unit)-1, Wall Fan- 1.**

This Auction Sale Notice is hereby given to the public in general and particular to the respective Borrower (s) and Guarantor (s) that the above described movable property/articles which was lying on secured asset at the time of the physical possession of secured asset took by the Authorized Officer of **HDB Financial Services Ltd.**, We issued a notice to Borrower(s) and Guarantor(s) for removal/taken back of said movable property/articles but the Borrower/ Guarantors/Owner has not come to claim/taken back these movable property till date so the HDBFS now proposes to sell the movable property as mentioned above by public auction and/or any other methods after a period of 30 days from the date of this notice on **"As is where is", "As is what is", and "Whatever there is "** basis on **19-05-2026 from 11:00 am to 12:00 Noon.** for a collective **Reserve Price (RP) of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)** calculated and fixed on the basis of two valuation reports. The inspection of household items can be done on **15-05-2026 from 1 p.m. to 2 p.m.** only. Interested bidders can contact and hand over their bid application along with **Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand Only)** with KYC in above mentioned branch address. The Authorize signatory has absolute powers to accept or reject the highest bid amount without assigning any reason disposed of/sold as per the provisions of law to the highest Successful bidder

We, vide a notice of removal of movables dated **22-09-2023 & 07-05-2024** has already informed to the borrowers/guarantor regarding the household articles/belongings lying with secured asset as per the inventory list dated **14-12-2022** to remove the household articles but the Borrower/ Guarantors/Owner has not come to claim/take these articles till the date of present publication.

न, टर्मिनल-3 (टी-3) स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित 'बटरफ्लाई गार्डन' यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। बटरफ्लाई गार्डन में तीन खूबसूरत क्रिस्टल से सजे तितली आकार के फोटो प्वाइंट लगे हैं, जो रंग-बिरंगे स्वरूप में यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। यह यात्रियों के लिए यादगार पलों को संजोने का विशेष स्थान बन गया है। सालभर यह जगह यात्रियों को फोटो खिंचवाने और अपने सफर को यादगार बनाने का अवसर प्रदान करेगी। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि इस प्रयास से यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के साथ-साथ टर्मिनल की सुंदरता में भी इजाफा हुआ है। यात्रियों और आगंतुकों के बीच यह नया फोटो व सेल्फी प्वाइंट बन गया है।

युवाओं में मानसिक समस्याएं बढ़ीं, जागरुकता जरूरी

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (वेब वार्ता)। बदलती जीवनशैली, बढ़ते काम के दबाव और सामाजिक दूरी के कारण देश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेष रूप से युवाओं और कामकाजी वर्ग में तनाव, चिंता और अवसाद के मामले पहले की तुलना में अधिक सामने आ रहे हैं। इस संबंध में मनोचिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. दीपक कुमार ने गंभीर चिंता जताते हुए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा, करियर की अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियां लोगों के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रही हैं। इसके साथ ही डिजिटल जीवनशैली और सामाजिक माध्यमों का अधिक उपयोग भी मानसिक दबाव को बढ़ा रहा है, जहां लोग स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक समस्याएं हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देतीं। कई बार व्यक्ति सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से तनाव में होता है। नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, थकान, अकेलापन और किसी कार्य में रुचि न होना इसके प्रमुख संकेत हो सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना गंभीर परिणाम ला सकता है। डॉ. दीपक कुमार ने जोर देकर कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि लंबे समय तक ऐसे लक्षण बने रहें तो विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है, जिससे समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने बताया कि परिवार और मित्रों का सहयोग मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, योग और ध्यान अपनाने से मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अंत में उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक चिकित्सीय स्थिति है, जिसका समय पर उपचार संभव है।

महावीर अस्पताल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (वेब वार्ता)। विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर राजधानी में जनसेवा और जागरूकता का संदेश देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने भगवान महावीर हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर एवं जागरूकता सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहलें स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान एक महान मानवीय कार्य है, जो जरूरतमंदों को नया जीवन देने का माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन आपातकालीन स्थितियों में मरीजों की मदद करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास और जागरूकता को भी बढ़ाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में कोई भी व्यक्ति उपचार के अभाव में परेशान न हो। उन्होंने हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया।

Auction Centre Address & Loan Nos: SIKAR (SIK - NO.2 , FIRST FLOOR , PAWANMARKET, OPP SANSKRIT COLLEGESTATION ROAD,Contact : 9829270318) 2160981, 2246248.

(Reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice)

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone : 01572-248009, e-Mail : rorpcb.sikar@gmail.com

No.: RPCB/RO Sikar/SIK-PH-049/ Date : 08.04.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय :- मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर, प्लॉट नम्बर 60, खसरा नम्बर 750 एवं 530, निकट ग्राम मण्डोली तहसील - नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित मेजा पत्थर की खनन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक **मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर** द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें मेजा पत्थर जो कि माईनिंग कलस्टर क्षेत्र 05.3784 हेक्टेयर, प्लॉट नम्बर 60, खसरा नम्बर 750 एवं 530, निकट **ग्राम मण्डोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) का प्रस्तुत किया गया है। 2. और चूंकि **मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2015 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यालय सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -

(i) जिला कलेक्टर, सीकर।
(ii) अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
(iii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(iv) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
(v) महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
(vi) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
(vii) ग्राम पंचायत, मण्डोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
(viii) राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मण्डोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
(ix) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एस.एस.ओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
(x) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 1234 दिनांक 02.04.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 22.05.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मण्डोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

कैलास जीवन

मल्टिपर्पज् आयुर्वेदिक क्रीम

। एड़ियों का फटना । मुहाँसे ।
। हाथ पाँव और आँखों की जलन ।
। मुँह के छाले । कटना । जलना । फिशर्स ।
आदि के लिए गुणकारी

Available in: 12g Tube, 20g Tube, 30g, 60g, 120g, 230g Bottle amazon | netmeds.com

Distributors:
Jaipur: Shri Ram Drug Store: 0141 - 4014062, Jhalani Medicals: 0141-2315448 / 7742301053
Manufacturer: ASUM, Pune. 020-24486865 asumkj@gmail.com www.asum.com
Customer Care: Anjanikumar: 8484822074, Pankaj: 8484822071

मकान, नानी गेट के बाहर, सालासर बस स्टैण्ड, सीकर (राजस्थान) से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति
शिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। सम्पादक- युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई-मेल yuvrajsinghh@gmail.com

बजरंग स्टोन क्रेशर
प्रस्तावित चैजा पत्थर खनन परियोजना
प्लॉट नंबर– 60
2.7695 हेक्टेयर, क्लस्टर क्षेत्र–5.3794 हेक्टेयर,
उत्पादन क्षमता 9,50,100 टीपीए (आरओएम)
(आरओएम)
पंचायत........मण्ढोली........ पंचायत समिति नीमकाथाना
(नीमकाथाना)
ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम
सुनवाई की दिनांक:–
सुनवाई का समय :– 11:00 AM से 02:00 PM
सुनवाई का स्थान:– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र
पंचायत भवन........मण्ढोली........
BUSCH LIGHT

कार्यक्रम
मण्डोली

खुशी
खुशी

मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर
प्लॉट नंबर– 60

मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर
प्रस्तावित चैजा पत्थर खनन परियोजना
प्लॉट नंबर- 60
क्षेत्रफल- 2.7695 हेक्टेयर, क्लस्टर क्षेत्र- 5.3794 हेक्टेयर,
उत्पादन क्षमता 9,50,100 टीपीए (आरओएम)
क्लस्टर उत्पादन क्षमता - 18,90,000 टीपीए (आरओएम)
पंचायत मण्ढोली पंचायत समिति
(नीमकाथाना)
ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई
02:00 PM
DEV
Fashions

खुशी

खुशी

पशुपालन विभाग

मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर
प्रस्तावित चैजा पत्थर खनन परियोजना
प्लॉट नबर– 60
क्षेत्रफल– 2.7695 हेक्टेयर, क्लस्टर क्षेत्र–5.3794 हेक्टेयर,
उत्पादन क्षमता 9,50,100 टीपीए (आरओएम)
क्लस्टर उत्पादन क्षमता – 18,90,000 टीपीए (आरओएम)
निकट ग्राम– मण्डोली, तहसील–नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज)
की
पर्यावरणीय जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है
पंचायत पण्डोली पंचायत समिति
(नीमकाथाना)
पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम
से 02:00 PM

खुशी

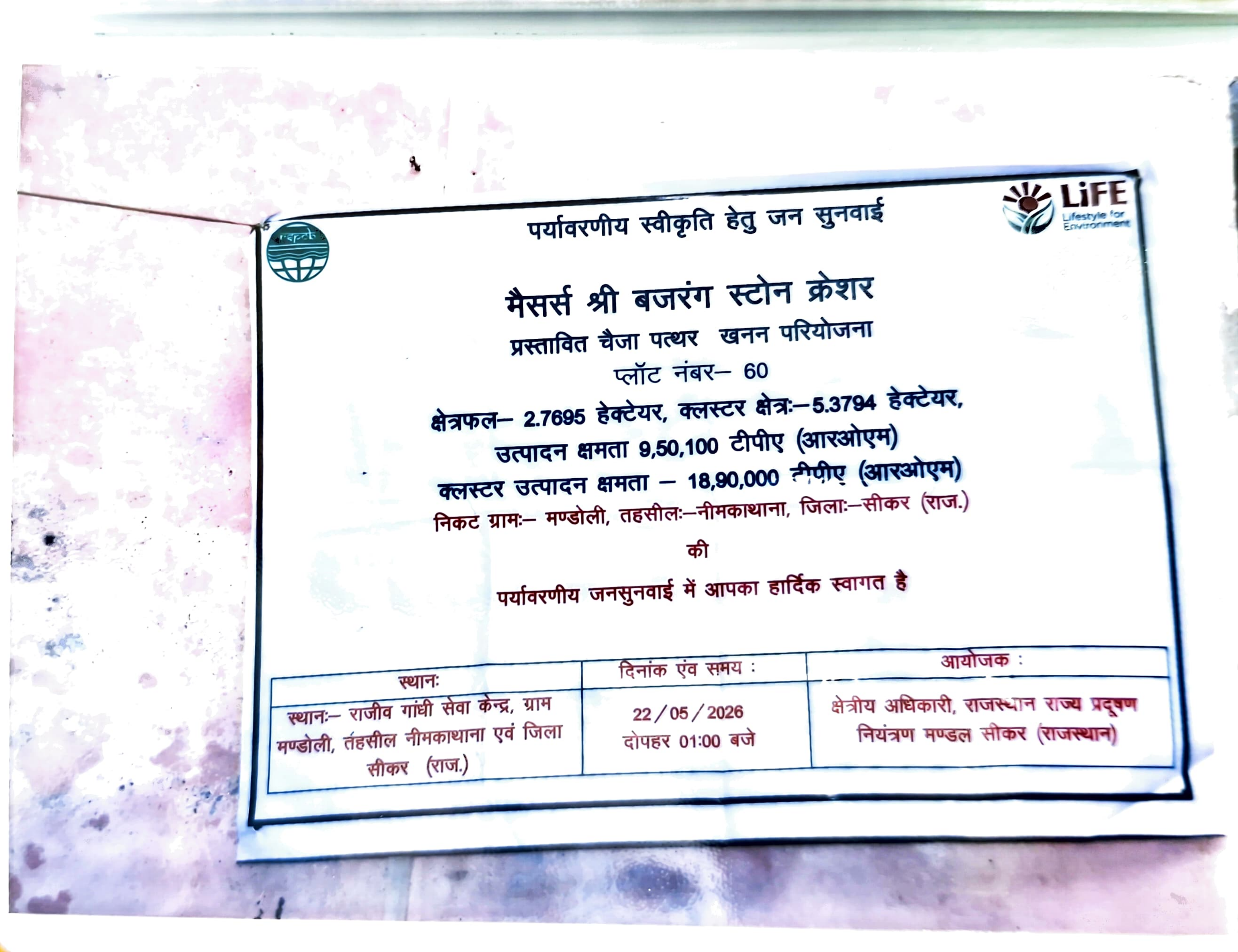
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई
LiFE
Lifestyle for Environment
मैसर्स श्री बजरंग स्टोन क्रेशर
प्रस्तावित चैजा पत्थर खनन परियोजना
प्लॉट नंबर– 60
क्षेत्रफल– 2.7695 हेक्टेयर, क्लस्टर क्षेत्र:–5.3794 हेक्टेयर,
उत्पादन क्षमता 9,50,100 टीपीए (आरओएम)
क्लस्टर उत्पादन क्षमता – 18,90,000 टीपीए (आरओएम)
निकट ग्रामः– मण्डोली, तहसीलः–नीमकाथाना, जिलाः–सीकर (राज.)
की
पर्यावरणीय जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है
स्थानः
स्थानः– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम मण्डोली, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राज.)
दिनांक एंव समय :
22 / 05 / 2026
दोपहर 01:00 बजे
आयोजक :
क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर (राजस्थान)

कार्यालय ग्राम पंचायत मंढोली
पंचायत समिति नीम का थाना जिला- नीम का थाना राज.